[2019] 8 एस. सी. आर. 183

र्यातार सहकारी सक्कार्रे कारखाने नियामित

बनाम

आय कर विभाग के सहायक आयुक्त सी-1 और अन्य

(2019 की सिविल अपील संख्या 4515-4524)

1 मई, 2019

[अभय मनोहर सप्रे और दिनेश माहेश्वरी, न्यायमूर्तियाँ]

*आय कर अधिनियम, 1961 – धारा 260-क - **कानून का सारवान प्रश्न** - अपील की सुनवाई गुण-दोष के आधार पर, केवल अधिनियम की धारा 260-क की उप-धारा (3) के तहत उच्च न्यायालय द्वारा तैयार किए गए प्रश्नों पर की जानी है, जैसा कि अधिनियम की धारा 260क(4) के तहत आवश्यक प्रदान किया गया है - तत्काल मामले में, जैसा कि अधिनियम की धारा 260क(3) के तहत आवश्यक है, उच्च न्यायालय ने कानून के **सारवान** प्रश्न को तैयार नहीं किया - जैसा कि अधिनियम की धारा 260क(3) के तहत आवश्यक है मामले को उच्च न्यायालय को केवल उचित सारवान प्रश्न को तैयार करने के बाद ही नए सिरे से सुनवाई के लिए **प्रतिप्रेषित कर** दिया गया - अपील।*

प्रधान आयकर आयुक्त केंद्रीय-2 बनाम मेसर्स ए. ए. एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड
2019 (6) एस.सी.एले. 509 - पर भरोसा किया ।

<u>सन्दर्भ निर्णय विधि</u>

2019 (6) एस.सी.एले. 509	**पर भरोसा किया**	**पैरा 10**

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2019 की सिविल अपील संख्या 4515-4524

आई.टी.ए. संख्या 100111-100120/2015 में कर्नाटक उच्च न्यायालय की धारवाड़ पीठ के दिनांक 26.02.2016 के निर्णय और आदेश से

सुश्री अनीता शेनाई, वरिष्ठ अधिवक्ता, शंकर दीवाटे, अधिवक्ता - अपीलार्थी के लिए

के. राधाकृष्णन, वरिष्ठ अधिवक्ता, एम. पी. गुप्ता, टी. एम. सिंह, श्रीमती अनिल कटियार, अधिवक्तागण - उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया था

अभय मनोहर सप्रे, न्यायमूर्ति

1. अनुमति प्रदान की गई।

2. ये अपीलें 2015 के आई.टी.ए. संख्या 100111-100120 में कर्नाटक उच्च न्यायालय, धारवाड़ में सर्किट बेंच द्वारा दिनांक 26.02.2016 को पारित अंतिम निर्णय और आदेश के खिलाफ दायर की गई हैं, जिसमें उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी (निर्धारिती) द्वारा दायर आई.टी.ए.ओं को खारिज कर दिया था।

3. ये अपीलें निर्धारिती द्वारा उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के खिलाफ दायर की गई हैं, जिसके द्वारा अपीलों के एक समूह का, कुछ निर्धारिती द्वारा और कुछ आयकर आयुक्त (राजस्व) द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 (इसके बाद "अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की धारा 260-क के तहत दायर की गईं, निपटान किया गया था |

4. जहाँ तक निर्धारिती द्वारा दायर अपीलों का संबंध है, उन्हें खारिज कर दिया गया था और जहाँ तक आयकर आयुक्त द्वारा दायर अपीलों का संबंध है, उन्हें अनुमति दी गई थी। निर्धारिती ने व्यथित महसूस किया है और इस न्यायालय में विशेष अनुमति के माध्यम से ये अपीलें दायर की हैं।

5. हम इन अपीलों के निपटारे के लिए जो आदेश पारित कर रहे हैं, उसके आलोक में मामले के तथ्यों को विस्तार से स्थापित करना आवश्यक नहीं समझते हैं।

6. अपीलार्थी (निर्धारिती) की वरिष्ठ अधिवक्ता सुश्री अनीता शेनाई और उत्तरदाताओं के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री के. राधाकृष्णन को सुना गया।

7. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने और और मामले के अभिलेख के अवलोकन पर, हम इन अपीलों को अनुमति देने, आक्षेपित आदेश को अपास्त करने और कानून के अनुसार गुण-दोष के आधार पर अपीलों पर नए सिरे से निर्णय लेने के अनुरोध के साथ मामले को उच्च न्यायालय में प्रतिप्रेषित करने के लिए इच्छुक हैं।

8. इन अपीलों को प्रतिप्रेषित करने की आवश्यकता इसलिए मांगी गई है क्योंकि आदेश के अवलोकन से हम पाते हैं कि पैरा 4 में, उच्च न्यायालय ने संप्रेक्षण किया, "निर्धारिती ने अपनी अपीलों में कानून के निम्नलिखित प्रश्न उठाए हैं" और फिर चार प्रश्न निर्धारित करे। इसी तरह, पैरा 5 में, उच्च न्यायालय ने संप्रेक्षण किया, "राजस्व ने अपनी अपीलों में कानून के निम्नलिखित प्रश्न उठाए हैं" और फिर तीन प्रश्न निर्धारित करें।

9. यह विवाद में नहीं है कि उच्च न्यायालय ने जैसा कि अधिनियम की धारा 260-क(3) के तहत आवश्यक है, कोई प्रश्न तैयार नहीं किया है।

10. इस न्यायालय ने हाल ही में 2017 के एस. एल. पी. (सी) संख्या 29524 (प्रधान आयकर आयुक्त केंद्रीय-2 बनाम मेसर्स ए. ए. एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड) से उत्पन्न 2019 की सिविल अपील संख्या 3968 निर्णय दिनांक 16.04.2019, में इस प्रश्न की जांच की। पैरा 21 से 26 और 28 उपयुक्त हैं जो निम्नानुसार हैंः

"21. जैसा कि पैरा 2 के पढ़ने से स्पष्ट है, पैरा 2 में दिए गए दो प्रश्न उच्च न्यायालय द्वारा तैयार किए गए प्रश्न नहीं थे, जैसा कि अपील की सुनवाई के लिए अधिनियम की धारा 260-ए (3) के तहत तैयार किए जाने की आवश्यकता थी, बल्कि वे प्रश्न थे जो अपीलार्थी द्वारा आग्रह किए गए थे।

22. हमारे विचार में, अपील स्वीकार करने के लिए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तावित प्रश्नों और न्यायालय द्वारा बनाए गए प्रश्नों के बीच अंतर है।

23. वह प्रश्न, जो अपीलार्थी द्वारा प्रस्तावित किए गए, अधिनियम की धारा 260-क(2)(ग) के तहत आते हैं जबकि उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए प्रश्न अधिनियम की धारा 260-क(3) के तहत आते हैं। **अपील की सुनवाई गुण-दोष पर केवल** अधिनियम की धारा 260-क **की उप-धारा (3) के तहत उच्च न्यायालय द्वारा तैयार किए गए प्रश्नों के आधार पर की जाती है, जैसा कि** अधिनियम की धारा 260-क**(4) के तहत प्रदान किया गया है।** दूसरे शब्दों में, अपील की सुनवाई केवल न्यायालय द्वारा तैयार किए गए प्रश्नों पर की जाती है।

24. तीसरा, यदि उच्च न्यायालय का रुख था कि अपील में कानून का कोई **सारवान** प्रश्न शामिल नहीं है, तो उसे इस आशय का एक स्पष्ट निष्कर्ष दर्ज करना चाहिए था कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तावित प्रश्न या तो मामले में उत्पन्न नहीं होते हैं या/और कानून के **सारवान** प्रश्न नहीं हैं कि स्वीकृति के लिए अधिनियम की धारा 260-क की कठोरता को आकर्षित किया जा सके और तदनुसार, आरम्भ में ही अपील को खारिज कर देना चाहिए था |

25. हालाँकि, ऐसा नहीं किया गया और इसके बजाय उच्च न्यायालय ने अपील को स्वीकार किए बिना और कानून के किसी भी प्रश्न को तैयार किए बिना प्रतिवादी-निर्धारिती को अपील का नोटिस जारी कर दिया, अपीलार्थी द्वारा अनुरोध किए गए प्रश्नों पर दोनों पक्षों को सुना और इसे खारिज कर दिया। हमारे विचार में, प्रत्यर्थी को अपील की "सुनवाई के समय" यह तर्क देने का अधिकार था कि बनाए गए प्रश्न अपील में शामिल नहीं थे और यह प्रत्यर्थी अधिनियम की धारा 260-क की उप-धारा (5) का सहारा लेकर आग्रह कर सकता है। लेकिन इस मामले में यह चरण उत्पन्न नहीं हुआ क्योंकि जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, उच्च न्यायालय ने न तो अपील को स्वीकार किया और न ही अधिनियम की धारा 260-क की उप-धारा (3) के तहत आवश्यक कोई प्रश्न तैयार किया। अधिनियम की धारा 260-क की उप-धारा (5) में निर्दिष्ट "ऐसे प्रश्न" पद का अर्थ है वे प्रश्न जो उच्च न्यायालय द्वारा अपील स्वीकार करते समय धारा 260-क की उप-धारा (3) के तहत तैयार किए गए हैं, न कि अपीलार्थी द्वारा अधिनियम की धारा 260-क(2)(ग) के तहत किया गया प्रस्तावित प्रश्न।

26. इसलिए, हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय ने अधिनियम की धारा 260-क में निर्धारित अनिवार्य प्रक्रिया के अनुरूप अपील पर निर्णय नहीं लिया।

28. पूर्वगामी चर्चा के आलोक में, हम कानून के अनुसार गुण-दोष के आधार पर ऊपर बनाए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अपील पर नए सिरे से निर्णय लेने के लिए मामले को उच्च न्यायालय में प्रतिप्रेषित करने को न्यायसंगत और उचित मानते हैं।"

11. हाथ में मामले के तथ्य और ऊपर उद्धृत मेसर्स ए. ए. एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड में शामिल तथ्य समान हैं और इसलिए, मेसर्स ए. ए. एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड (उपरोक्त) में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को ध्यान में रखते हुए, इन अपीलों को स्वीकार किया जाना चाहिए और मामले को गुण-दोष पर नए सिरे से सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय में प्रतिप्रेषित किया जाना चाहिए।

12. पूर्वगामी चर्चा को ध्यान में रखते हुए, अपीलों की अनुमति दी जाती है। **आक्षेपित** आदेश को **अपास्त** कर दिया जाता है। अधिनियम की धारा 260-क(3) के तहत आवश्यक कानून के उचित **सारवान** प्रश्न(ओं) को तैयार करने के बाद ही अपीलों को नए सिरे से सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय में प्रतिप्रेषित किया जाता है।

13. मामले को उच्च न्यायालय में प्रतिप्रेषित करने के लिए एक राय बनाते हुए, हमने इन अपीलों में शामिल मुद्दों के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है। इसलिए, उच्च न्यायालय, **आक्षेपित** आदेश और इस आदेश में की गई किसी भी टिप्पणी से अप्रभावित, सख्ती से कानून के अनुसार अपीलों पर निर्णय लेगा।

देविका गुजराल

मामला हाईकोर्ट में प्रतिप्रेषित किया गया